41

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक A 355/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 401/अपील/2013-14.

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा प्रभारी अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी, बरेली
तहसील बरेली, जिला रायसेन, म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

जगदीश प्रसाद दुबे आ. स्व. मुंशीलाल दुबे
निवासी- ग्राम पिपरिया करनसिंह
तहसील बरेली, जिला रायसेन, म.प्र. .....प्रत्यर्थी

श्री मोहम्मद हनीफ, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 24.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा पिपरिया करनसिंह, तहसील बरेली स्थित भूमि खसरा क्रमांक 76 रकबा 078 एकड़, खसरा क्रमांक 132 रकबा 4.35 एकड़, खसरा क्रमांक 153 रकबा 4.26 एकड़, खसरा क्रमांक 159 रकबा 3.33 एकड़ कुल रकबा 12.73 एकड़ भूमि जो कि वर्तमान में राधाकृष्ण मंदिर सरबराहकार के रूप में जगदीश प्रसाद

आ. स्व. मुंशीलाल दुबे व जिला अध्यक्ष, रायसेन के नाम दर्ज है, से जिलाध्यक्ष का नाम विलोपित कर दिया जाये। प्रश्नाधीन भूमि उसके पूर्वजों की होकर निजी भूमि है। प्रमाण स्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा उसके पितामह स्वर्गीय नन्हेलाल के नाम की नकल वर्ष 1968-69 तथा वर्ष 1974-75 से 81-82 प्रस्तुत की गई तथा इसके अतिरिक्त सरबराहकार के नाम की किश्तबंदी वर्ष 2009-10 की नकल प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 232/बी-121/कले./11-12 दर्ज कर आवेदन पत्र की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी, बरेली से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रत्यर्थी की सुनवाई उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपने आदेश दिनांक 30.04.2013 द्वारा निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.07.2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम पिपरिया करनसिंह प.ह.नं. 34 तहसील बरेली जिला रायसेन, म.प्र. में स्थित भूमियां सर्वे क्रमांक 76, 132, 153, 159 कुल रकबा 12.73 एकड़ का स्वामित्व एवं आधिपत्य श्री राधाकृष्ण मंदिर स्थित ग्राम पिपरिया करनसिंह में वेष्ठित है, किसी व्यक्ति या सरबराहकार को प्राप्त नहीं है। सरबराहकार की वैधानिक स्थिति मात्र व्यवस्थापक/पर्यवेक्षक अधिकार प्राप्त होने तक सीमित होती है।

(2) पूर्व में उक्त भूमियों पर सरबराहकार के रूप में जशोदा बाई विधवा व जिलाध्यक्ष रायसेन का नाम दर्ज रहा। जशोदाबाई के स्थान पर जगदीश प्रसाद का नाम प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/2001-02 के द्वारा सरबराहकार के नाम दर्ज हुआ। प्रकरण में जगदीश प्रसाद स्वयं आवेदक रहे हैं। प्रत्यर्थी को प्रकरण के प्रारंभ से ही ज्ञात रहा है कि सरबराहकार के रूप में जिलाध्यक्ष का नाम भी दर्ज है। प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रकरण स्वयं जशोदा बाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

(3) प्रत्यर्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन परस्पर विरोधाभाषी एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पत्र के संबंध में जिलाध्यक्ष रायसेन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से मंदिर की भूमि एवं उसके व्यवस्थापन के

बावत जांच प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें लेख किया गया कि मंदिर पर समिति का अधिकार चला आ रहा है।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्व. जशोदा बाई को स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति के संबंध में वसीयत करने का अधिकार था। चूंकि प्रश्नाधीन भूमियों का स्वामित्व व आधिपत्य श्री राधाकृष्ण मंदिर स्थित ग्राम पिपरिया करनसिंह को प्राप्त था। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी को सरबराहकार होने का भी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

(5) अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अधिकारिता रहित है। इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मंदिर श्री राधाकृष्ण मंदिर स्थित ग्राम पिपरिया करनसिंह की भूमियों का स्वामित्व व आधिपत्य मूर्ति में वेष्ठित है। इस कारण पूर्व सरबराहकार जशोदा बाई को सरबराहकार के रूप में मंदिर की भूमियों के बावत् वसीयत करने या सरबराहकार के रूप में स्वयं को प्राप्त अधिकारों के जरिये वसीयत प्रत्यायोजित करने का अधिकार नहीं है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है कि किसी व्यक्ति द्वारा मंदिर में स्वयं की भूमि दान किये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि भूमियां निजी मानी जावेगी या मंदिर भी निजी हो जावेगा। मंदिर में भूमि दान दिये जाने के उपरांत भूमि निजी नहीं रह जाती ना ही भूमियों का व्ययन वसीयत द्वारा किया जा सकता है। दानकर्ता के विधिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) श्रीमती जसोदाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 11.03.1987 को एक वसीयतनामा सत्यनारायण दुबे, द0ले0 पिपरिया से साक्षी अनिल तिवारी एवं दिनेश माहेश्वरी निवासी पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष निष्पादित कर उक्त मंदिर एवं भूमि के संचालन की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी को दी थी। श्रीमती जसोदाबाई का देहांत दिनांक 10.10.1987 को ग्राम पिपरिया करनसिंह तहसील बरेली में हुआ। श्रीमती जसोदाबाई के देहांत के उपरांत वसीयतनामा के प्रभाव में आने से प्रत्यर्थी का नाम उक्त मंदिर एवं

भूमि के सरवराहकार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया, जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विचारण के बाद तथा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत यह स्थापित किया कि उक्त भूमि प्रत्यर्थी की निजी खानदानी भूमि है व उस पर स्थापित मंदिर भी उनका निजी, उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है, जिस पर किसी और का हस्तक्षेप तथा जिलाधीश का नाम अपना, विधि के विरूद्ध है। इस कारण अपर आयुक्त द्वारा जिलाधीश का नाम विलोपित कर भूमि को जगदीश प्रसाद दुबे के नाम अंकित कर प्रविष्ट संशोधित प्रविष्ट दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं, जो कि विधि अनुसार है।

(2) उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत कलेक्टर रायसेन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली से उक्त मंदिर एवं भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन मांगा गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 09.04.2012 को अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुतकर बतायाकि मंदिर में अनुविभागीय कार्यालय द्वारा कोई ट्रस्ट गठित नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह बात भी पूर्ण रूप से प्रमाणित होती है कि उक्त मंदिर, निजी मंदिर है, जिसका निर्माण स्व. नन्हेलाल द्वारा कराया गया है। यह भलीभांति प्रमाणित हो चुका है कि उक्त मंदिर निजी मंदिर है, तब पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 2(4) 4 तथा 5 के अनुसार कलेक्टर निजी मंदिरों का प्रबंधक नहीं हो सकता। इस तर्क के समर्थन में 1985 रा.नि. पेज 317 एवं 1999 रा.नि. पेज 243 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) उक्त अपील धारा 44(2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष विलंब कारित करते हुए प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थी आदेश दिनांक 24.07.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है, परंतु उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में समय रहते हो गई थी। इसके बाद भी अपीलार्थी ने अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन को विलंब कारित क्यों हुआ, इसका कोई सुस्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विलंब कारित होने का कारण दस्तावेजों के द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि अपीलीय न्यायालय को विलंब कारित क्यों हुआ, इसका युक्तियुक्त कारण जाने बिना न्यायालय विलंब को क्षमा नहीं कर सकता तथा

अपील को गुण-दोषों के आधार पर निराकृत नहीं कर सकता। इस तर्क के समर्थन में Office of Chief Post Master विरूद्ध Living Media India Ltd. (माननीय सर्वोच्च न्यायालय) एवं The Additional Commissioner of Sales Tax विरूद्ध Phonographic Performance Ltd. (बॉम्बे उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) अपीलार्थी के अपील निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी की अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस अपील मेमो में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारणवश अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, इसके विपरीत अपीलार्थी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/बी-113/एस.डी.ओ./बरेली, 2014-15 में आदेश दिनांक 18.10.2016 में स्वयं यह सुस्थापित किया है कि प्रत्यर्थी भूमि जिसके विरूद्ध एस.डी.एम. के समक्ष आये हैं, वह भूमि प्रत्यर्थी के निजी मंदिर की निजी भूमि है, जिसके वह सरवराहकार है तो ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। इसके साथ ही अपीलार्थी स्वयं अपने आदेश से विवान्धित है।

अत: उनके द्वारा अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश विधि अनुसार होने से यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में मंदिर के नाम दान की गई थी और एक बार भूमि मंदिर को दान होने पर भूमि मंदिर की ही होगी तथा इसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। आवेदक ने जानबूझकर न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर भ्रामक एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत की गई है। आवेदक मंदिर के स्वत्व की भूमि को खुर्दबुर्द करने की नीयत से प्रश्नाधीन भूमि पर से प्रबंधक कलेक्टर का नाम राजस्व अभिलेख् से विलोपित कराना चाहता है। अत: आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है परन्तु कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2015 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-2013 स्थिर रखा जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर